POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 11.03.2025

1. थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा 10,000 हजार रूपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- अभियुक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा मु0अ0सं0 538/23 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त अनुज की जमानत हेतु पीड़िता/अपहर्ता के फर्जी दस्तावेज बनाकर एवं पीड़िता को बालिग दर्शाकर अभियुक्त अनुज की जमानत कराई गयी थी तथा बाद में अभियुक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा पुनः नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर लिया गया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 26.12.2024 को वादी द्वारा थाना फेस-2 पर तहरीर देकर मु0अ0सं0 632/24 धारा 363/420/467/468/471/120 बी भादवि पंजीकृत कराया गया एवं विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 366/376(3) भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **11.03.2025** को **थाना फेस-2** नोएडा पुलिस द्वारा त्वारित कार्यवाही करते हुये लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से उपरोक्त मुकदमा में वांछित अभियुक्त अनुज कुमार पाल पुत्र महेशचन्द पाल निवासी ग्राम पाखर थाना सौरिख जिला कन्नौज हालपता ग्राम शहदरा थाना सेक्टर 142 नोएडा उम्र 23 वर्ष को एनएसईजैड बस स्टैण्ड के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

1. अभियुक्तों द्वारा मु0अ0सं0 538/23 धारा 363 /376 भादवि व 3/4 पोक्सो में अभियुक्त अनुज की जमानत हेतु पीड़िता/अपर्हता के फर्जी दस्तावेज बनाकर बालिग दर्शाकर अभियुक्त अनुज उपरोक्त की जमानत कराई गयी थी।
2. इन सभी के द्वारा पुनः पीड़िता/अपहर्ता का अपहरण कर लिया गया था।
3. अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण द्वारा 10,000-10,000 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।
4. पीड़िता/अपहर्ता को पुनः तलाश कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अनुज कुमार पाल पुत्र महेशचन्द पाल निवासी ग्राम पाखर थाना सौरिख जिला कन्नौज हालपता ग्राम शहदरा थाना सेक्टर 142 नोएडा उम्र 23 वर्ष

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

दिनांक 27.02.2025 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा में वांछित अभियुक्त 1-अनिल पाल पुत्र महेशचन्द पाल 2-लालू उर्फ राजपाल पुत्र जोगराज सिंह पाल को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 632/2024 धारा 363/420/467/468/471/120 बी भादवि थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

2.थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **11.03.2025** को **थाना सेक्टर-63**, नोएडा पुलिस द्वारा गांजे की तस्करी करने वाला अभियुक्त केसर अली पुत्र दाउद को बहलोलपुर अंडरपास से सैक्टर 63ए की तरफ जाने वाले सर्विस रोड से 01 किलो 200 ग्राम गांजे सहित **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

केसर अली पुत्र दाउद (उम्र 22 वर्ष) निवासी ग्राम सरई थाना रोजा जिला शाहजहांपुर हाल पता जानवरों के सरकारी अस्पताल के पास गढ़ी चौखण्डी सैक्टर 68 थाना फेस-3, नोएडा

- **अभियुक्त केसर अली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0 113/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा
2. मु0अ0सं0 556/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा
3. मु0अ0सं0 285/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा
4. मु0अ0सं0 191/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना फेस-3, नोएडा
5. मु0अ0सं0 189/2022 धारा 414 भादवि थाना फेस-3, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा